भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *64
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत कार्ड

***64. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर अस्पताल भ्रष्ट कृत्यों में संलिस हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और
(ग) सरकार द्वारा गुजरात सहित देश भर में ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

07 फरवरी, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.64 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की अग्रणी योजना है जो भारत की आर्थिक रूप से कमजोर निम्नतम 40% आबादी के 12.37 करोड परिवारों के लगभग 55 करोड लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। हाल ही में 4.5 करोड परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, वय वंदना कार्ड के साथ एबी-पीएमजेएवाई में शामिल करके इस योजना का विस्तार किया गया है। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 1.19 करोड रुपए की लागत से 8.59 करोड़ अस्पताल भर्तियों को अधिकृत किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और दुरुपयोग के प्रति जीरो टोलेरेंस के दृष्टिकोण से शासित होता है और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर इस योजना में हो सकने वाली विभिन्न प्रकार की धोखाधडी से बचाव करने, उसका पता लगाने और रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई स्थापित की गई है और यह इकाई धोखाधड़ी और दुरुपयोग से संबंधित मामलों की जांच करने और उनके विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्यों की धोखाधड़ी रोधी इकाइयों के साथ घनिष्ठ समन्वयन करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1114 अस्पतालों को पैनल से हटाने, चूक कर्ता 1504 अस्पतालों पर 122 करोड़ रुपए का दंड अधिरोपित करने, 549 अस्पतालों के निलंबन सहित चूककर्ता अस्पतालों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एनएएफ़यू द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों का कोई भी दावा संदिग्ध पाया जाता है, तो ऐसे दावों को आवश्यक होने पर एनएएफ़यू की टीम द्वारा फ़ील्ड सत्यापन, सहित उपयुक्त जांच होने तक रोका जाता है।

दिनांक 04.02.2025 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत 9 डाक्टरों और 71 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2 अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है और एक अस्पताल को काली सूची में डाल दिया गया है। कुल 15.08 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और 19.90 करोड़ रुपए की राशि का दंड अधिरोपित किया गया है।

******